कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/ **2350** /01–**716**–2017/2017 दिनांकः **30 मई, 2017**

सेवा में,

प्रबंधक,
स्कूल आफ मैनेजमेंट साइंसेज,
खुशीपुर, बच्छांव,
वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक **26.04.2017** के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975/79–1–14–1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527/सत्तर–2–2008–2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक **30.05.2017** की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **स्कूल आफ मैनेजमेंट साइंसेज, खुशीपुर, बच्छांव, वाराणसी** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर कला सम्वर्ग में बी0जे0एम0सी0 पाठ्यक्रम में प्रपत्र बी में इंगित कमियों यथा पूर्व संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षकों का अनुमोदन, नियुक्ति, संविदा, सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण, महाविद्यालय भवन एन0बी0सी0 मानक 2005 के अनुरूप होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग या अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जारी, पत्रांक एवं दिनांक सहित प्रमाण न होने** तथा संदर्भित विषयों में चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन एवं उनको कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष होने को दृष्टिगत रखते हुए **दिनांक 01.07.2017** से आगामी **तीन वर्ष** हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. **महाविद्यालय संदर्भित विषयों हेतु चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन प्राप्त कर उनकी नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान की कार्यवाही करते हुए उसका प्रमाण के साथ कमियों का निराकरण करते हुए कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करेगा।**
2. **संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।**
3. **महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।**
4. **महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशो एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।**
5. **रिट याचिका सं0–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**
6. **यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।**
7. **महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।**

.....2

8. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तो को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगेः–

37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

10. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कमियों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर रू0 100/– के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता आदेश में प्रदर्शित कमियों को एक माह में पूर्ण न करने एवं भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीः–

1– मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
4– परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त शर्तो का **अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही आनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र से सम्बंधित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित** करें।
5– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6– सम्बंधित पत्रावली।

कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0 / 12235 / 01–716–2017 / 2017 दिनांक: 13 जुलाई, 2017

संशोधन पत्र

सेवा में,

प्रबंधक,
स्कूल आफ मैनेजमेंट साइंसेज,
खुशीपुर, बच्छांव,
वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक **26.04.2017** के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के संदर्भित पाठ्यक्रम विशेषज्ञ की आख्या के आलोक में महाविद्यालय को संदर्भित पाठ्यक्रम की अनापत्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र संख्या–कु0स0–2 B स0अ0 / 2231 / 01–499–2015 / 2017 दिनांक 27.03.2017 को मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–कु0स0–2 B स0अ0 / 12234 / 01–499–2015 / 2017 दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा **"मास कम्यूनिकेशन (बी0जे0एम0सी0)"** के स्थान पर **"बी0ए0 (आनर्स) मास कम्यूनिकेशन" संशोधित किये जाने के कम में सम्बद्धता की अनुमति हेतु निर्गत पत्रांक कु0स0–2 B स0अ0 / 2350 / 01–716–2017 / 2017 दिनांक 30.05.2017** में भी **"मास कम्यूनिकेशन (बी0जे0एम0सी0)"** के स्थान पर **"बी0ए0 (आनर्स) मास कम्यूनिकेशन" संशोधित रूप में पढ़ा जाय। सम्बद्धता की अनुमति पत्र में उल्लिखित शेष शर्ते यथावंत रहेंगी।**

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही:–

1– मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
4– परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि सम्बद्धता की अनुमति पत्र में उल्लिखित शर्तो का **अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही आनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र से सम्बंधित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित** करें।
5– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6– सम्बंधित पत्रावली।

कुलसचिव